

दिनांक
हुक्म

११/१२

पुष्पावली प्रेश हुई। बाकी खं व काले
 बाकी दोनो अनुपारिणत। न्यायालय
 सभसे से वक - वक कर तीन परतवा
 आसाज पुकरवडे वई, लेकिन कतेई
 उपारिणत नीं हुआ। एतने पुष्पावली
 का अवलोकन किया। वकाल बाकी
 का तलवी प्रेश करने हेतु पूर्व कार्यवाही
 के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं निर्णय
 14.9.22 को अधिकतम अवकाश उपलब्ध
 करने को उपलब्ध नी तलवी प्रेश नी
 की गई है ना ही कारणों से अवकाश
 का मा है। आदेश-3 नियम 3 व 5
 के अनुसार न्यायालय बंद रखारिण
 करना उपरि संभव है। अतः वक
 बाकी रखारिण किया जाता है। पुष्पावली
 नम्बर से कात होकर दारिद्र्य वपुत्र
 है।


 उपखण्ड अधिकारी
 मालाबाद